न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर अस्थाई निषेधाज्ञा / 203 / 2019 तारीख रजु 10.05.2012

उनवान

श्यामसिंह पुत्र बाबूलाल जाति नाई निवासी ढिंढोरा तहसील हिण्डौन जिला करौली।

————सायल

बनाम

सियाराम पुत्र गिल्हारी जाति नाई निवसी ढिंढोरा तहसील हिण्डौन जिला करौली

——गैरसायल

उपस्थितिः—

सायल की ओर से :—श्री गोविंद प्रसाद गुप्ता एडवाकेट।

गैरसायल की ओर से :—कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक 06.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायल की ओर से वकालतन एक प्रार्थना पत्र ग्राम ढिंढोरा के खसरा नंबर 1889, 1890 के सम्बन्ध मे अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया। वकील सायल उपस्थित नहीं पत्रावली आज दिनांक 6.02.2020 को तलबी की स्टेज पर पेश हुई। बार बार आवाज दिलाई गई। सायल वकील उपस्थित नहीं जिससे स्पष्ट होता है कि सायल मुकदमें में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 44 / 2012 श्यामसिंह बनाम सियाराम अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.02.14 15:47:21 IST
Reason: SelfAttested